न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 140/2017-18 अन्तर्गत धारा–333 जं0वि0अधि0

1– श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 मदनलाल शर्मा, निवासी–गुजराड़ा सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

बनाम

1– अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, कैम्प देहरादून, 2. श्रीमती कमला देवी पत्नी किशोरीलाल द्वारा मुख्तार रोहित कुमार पत्र ध्यान सिंह, निवासी–26ए फेज–2, वंसत विहार, देहरादून, 3. राजेश शर्मा, 4. प्रवेश शर्मा पुत्रगण जयप्रकाश, 5. राकेश शर्मा, 6. मनोज शर्मा पुत्रगण स्व0 ओमप्रकाश, 7. श्रीमती शांति देवी पत्नी स्व0 ओमप्रकाश, 8. ज्ञानप्रकाश भारद्वाज, 9. किशनलाल भारद्वाज पुत्र स्व0 वेदप्रकाश, 10. मानस, 11. मनीष पुत्रगण प्रकाश भारद्वाज सभी निवासी–78 ओल्ड राजपुर रोड़, देहरादून, 12. श्रीमती कान्ता गुप्ता पत्नी स्व0 अरविन्द कुमार गुप्ता, निवासी–209 लूनिया मोहल्ला, देहरादून, 13. मनोज कुमार पुत्र स्व0 मदनलाल, निवासी–गुजराड़ा मानसिंह, देहरादून, 14. उत्तराखण्ड सरकार, 15. ग्राम सभा डाण्डा धोरण, ग्राम प्रधान।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्त्री : श्री अंकित गुप्ता।

आदेश

यह निगरानी निगरानीकर्त्री उपरोक्त ने विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, कैम्प देहरादून द्वारा निगरानी संख्या–34 वर्ष 2016–17 श्रीमती कमला शर्मा बनाम श्रीमती सावित्री देवी आदि में पारित आदेश दिनांक 15–06–2017 के विरूद्ध प्रमुखतः इन आधारों पर योजित की गई है कि सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून द्वारा वाद संख्या–57/2014–15 श्रीमती सावित्री देवी बनाम राजेश शर्मा आदि में धारा–229डी के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 03–09–2015 के सापेक्ष कैविएट दाखिल किये जाने के बावजूद भी निगरानीकर्त्री को बिना सुने आक्षेपित आदेश से उक्त आदेश को निरस्त कर दिया गया है, कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानी प्रस्तुत होते समय ही उनको बिना सुनवाई का मौका दिये तथ्यों का कानून के विरूद्ध विश्लेषण करते हुए आदेश दिनांक 03–09–2015 को निरस्त किया है जो कि विधिविरूद्ध तथा क्षेत्राधिकार से परे है तथा निरस्त होने योग्य है।

मैंने निगरानी की ग्राह्यता पर निगरानीकर्त्री के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रस्तुत अभिलेखों का भली भांति अवलोकन किया।

सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून द्वारा वाद संख्या–57/2014–15 सावित्री देवी बनाम राजेश शर्मा में प्रस्तुत धारा–229डी के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 03–09–2015 के विरूद्ध निगरानीकर्त्री द्वारा विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, कैम्प देहरादून के न्यायालय में कैविएट प्रस्तुत की गई थी। आदेश दिनांक 03–09–2015 के विरूद्ध उत्तरदाता संख्या–2 कमला शर्मा द्वारा अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, कैम्प देहरादून के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जिसमें विद्वान अपर आयुक्त ने कैविएटर/निगरानीकर्त्री को बिना सुने ही ग्राह्यता के स्तर पर परगनाधिकारी (सदर) देहरादून के आदेश दिनांक 03–09–2015 को निरस्त करते हुए नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये। उल्लेखनीय है कि विद्वान सहायक कलेक्टर/परगनाधिकारी द्वारा धारा–229डी जं0वि0अधि0 के प्रार्थना पत्र पर एक अस्थाई व्यादेश आगामी तिथि तक के लिए दिनांक 03–09–2015 पारित किया गया था, जिसके विरूद्ध निगरानीकर्त्री ने कैविएट अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत किया था लेकिन विद्वान अपर आयुक्त द्वारा कैविएटर/निगरानीकर्त्री को सुने ही आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। विधिक स्थिति स्पष्ट है कि कैविएटर को उसकी कैविएट के आलोक में सुना जाना अनिवार्य है। विद्वान अपर आयुक्त को चाहिए था कि वे कैविएटर को सूचित कर उसे सुनने के उपरान्त ही विधिवत आदेश पारित करते, लेकिन ऐसा न कर उन्होंने विधिक अनियमितता की है। यद्यपि आक्षेपित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में भी उत्तरदाता संख्या–2 श्रीमती कमला शर्मा द्वारा कैविएट दिनांक 16–06–2017 को प्रस्तुत किया गया है परन्तु उक्त अनियमितता एवं कैविएट प्रस्तुत किये 90 दिन से अधिक का समय होने के दृष्टिगत निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही स्वीकार कर आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही ग्रहण कर स्वीकार की जाती है तथा आक्षेपित आदेश दिनांक 15–06–2017 अपास्त कर प्रकरण विद्वान अपर आयुक्त को इस आशय से प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे सर्वप्रथम निगरानीकर्त्री/कैविएटर के कैविएट पर पक्षकारों को सुनने का अवसर प्रदान करेंगे एवं सुनवाई उपरान्त ही विधिसम्मत आदेश पारित करेंगे। पक्षकार दिनांक 25–10–2017 को अवर न्यायालय में उपस्थित हों।

दिनांकः– 06–10–2017

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)